[2018] 2 एस.सी.आर. 744

के मामले में:

टी. एन. गोडावर्मन थिरुमुल्कपाद आदि।
बनाम
भारत संघ एवं अन्य आदि।

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 वर्ष 1995 में 2014 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 3840 वर्ष 2014)
16 फरवरी, 2018

[मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता, माननीय न्यायमूर्तिगण।]

पर्यावरण- वन- वृक्षों की कटाई- उच्चतम न्यायालय द्वारा 12.12.1996 को हिमाचल प्रदेश सहित बड़ी संख्या में राज्यों को जारी किए गए निदेश, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कि किसी भी वन, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी- तथापि, ऐसी रिपोर्टें थीं कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध हटाने के आदेश पारित किए थे - उच्चतम न्यायालय, दिनांक 14-02-2000 को हिमाचल प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसे आदेश पारित किए गए हैं, तो उनके संचालन पर रोक लगाई जाती है और वृक्षों की कटाई नहीं की जाएगी- हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा आवेदन किया जाता है कि उसे चिल पाइन में पतले पन और अन्य सांस्कृतिक कार्यों सहित वन संवर्धन हेतु खैर और चौड़ी पत्तियों वाले वनों में कटाई करने की अनुमति दी जाए। आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया - कहा: हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा शपथपत्रों के अनुसार, कुछ मात्रा में वन संवर्धन कटाई आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई कटाई नहीं की जाती है तो वृक्षों का पुनर्जनन उतनी तेजी से नहीं होता है जितना होना चाहिए और एक बार परिपक्व पेड़ अपने अधिकतम जीवन काल तक पहुंचने के बाद मृत हो जाते हैं, पुराने वृक्षों का स्थान लेने हेतु बहुत कम युवा वृक्ष होंगे - वनों की रक्षा के उद्देश्य से, भारत में वृक्षों की कटाई पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दो दशकों से अधिक समय से प्रतिबंध लगा दिया गया है- हालांकि, प्रायोगिक आधार पर वृक्षों की कटाई की अनुमति बहुत सीमित सीमा तक है - इस तरह की कटाई की निगरानी बहुत सावधानी से की जानी चाहिए कि क्या यह वास्तव में जंगलों के उत्थान में सहायता करता है अथवा नहीं । वृक्षों की कटाई के लिए सीईसी द्वारा निर्धारित शर्तें, आगे निर्धारित शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए - प्रधान मुख्य वन संरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि कटाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार सख्ती से की जाए - इस सीमित सीमा तक, जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, दिनांक 12.12.1996 और 14.02.2000 के आदेशों को संशोधित किया जाता है।

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र: रिट याचिका (सिविल) संख्या 202 वर्ष 1995 में अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 3840 वर्ष 2014

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत।

उपस्थित पक्षों के अधिवक्तागण जे.एस. अत्री, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए.डी.एन.राव, (एसी), सिद्धार्थ चौधरी, (एसी), सुदीप्तो सरकार, सुश्री तूलिका चिक्कर, एस. वसीम ए. कादरी, रविंदारा

बाना, सुश्री गार्गी खन्ना, डी. एल. चिदानंद, जैद अली, रितेश कुमार, जी. एस. मक्कड़, वरिंदर कुमार शर्मा, चंद्र नंद झा, सुश्री प्रगति नीखरा।

न्यायालय का आदेश माननीय न्यायमूर्ति, दीपक गुप्ता द्वारा दिया गया था।

प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्रार्थना की है कि केवल चिल पाइन, खैर और चौड़ी पत्तियों वाले जंगलों में औसत समुद्र तल (एमएसएल) से 1500 मीटर की ऊंचाई तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार पतलेपन और अन्य सांस्कृतिक कार्यों सहित वन संवर्धन कटाई करने की अनुमति दी जाए।

2. दिनाँक 12.12.1996 को, इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में राज्यों को निर्देश जारी किए। हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में संगत निर्देश निम्नानुसार हैं:

> "1. सार्वजनिक या निजी किसी भी जंगल में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध किसी भी निजी वृक्षारोपण में कटाई को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें किसी भी क्षेत्र में लगाए गए पेड़ शामिल हैं जो जंगल नहीं है; और जिसे पहले के "जंगल" से परिवर्तित नहीं किया गया है। यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश में उनके वास्तविक व्यक्तिगत उपयोग के लिए सही धारकों को दिए गए परमिट पर लागू नहीं होगा।
>
> 2. वन में, राज्य सरकार या तो विभागीय रूप से या राज्य वन निगम के माध्यम से गिरे हुए या गिर सक्ने वाले वृक्षों को हटा सकती है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 18 या 35 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से रोगग्रस्त या सूखी खड़ी लकड़ी को हटा सकती है।
>
> 3. इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना है जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि, राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, दो निजी विशेषज्ञ और राज्य वन निगम के प्रबंध निदेशक (सदस्य सचिव के रूप में) शामिल हैं, जो गिरे हुए वृक्षों और रोगग्रस्त और खड़ी लकड़ी की कटाई के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक मानदंड तय करेगा। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार काटे गए और हटाए गए पेड़ इन मानदंडों के अनुसार हैं।
>
> 4. किसी भी वन में वृक्षों की कटाई या परियोजनाओं के निष्पादन में वन भूमि की कोई भी मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 और उस पर लागू होने वाले किसी भी अन्य विधियों के सख्त अनुरूप होगी इसके अतिरिक्त, इस तरह काटे गए किसी भी पेड़ और ऐसे वृक्षों का निस्तारण विशेष रूप से राज्य वन निगम द्वारा किया जाएगा और इसके किसी भी पहलू में कोई निजी एजेंसी शामिल नहीं होगी।"

3. ऐसा आदेश पारित किए जाने के बावजूद, वाद मित्र ने दिनाँक 14.02.2000 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि प्रेस में ऐसी रिपोर्टें थीं कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध हटाने के लिए कुछ आदेश पारित किए थे। इसके बाद, इस न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया और यह भी स्पष्ट किया कि यदि ऐसा कोई आदेश पारित किया गया है, तो उसके संचालन पर रोक लगा दी गई है और वृक्षों की कटाई नहीं की जानी चाहिए। दिनांक 14-02-2000 के आदेश के उत्तर में हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में यह बताया गया था कि राज्य का आशय विधिवत अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वृक्षों के पुनरुत्पादन, कटाई और पतलेपन सहित वन संवर्धन कार्यों को पुनः प्रारंभ करना था। हिमाचल प्रदेश राज्य ने भी इस न्यायालय को सूचित किया कि यद्यपि राज्य का

आशय वन-विज्ञान हेतु कटाई करने का था, किन्तु वास्तव में इस निर्णय को लागू नहीं किया गया है। यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से अनुमति दिए गए वृक्षों के अतिरिक्त वृक्षों की कोई कटाई नहीं हुई है। यह उल्लेख करना भी उचित है कि भारत सरकार ने शासनादेश दिनांक 11-10-2002 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सहित विभिन्न राज्यों के लिए कार्य योजना को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद राज्य ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (संक्षेप में 'सीईसी') से संपर्क किया, जिसने राज्य को सलाह दी कि वह पहले के स्थगन आदेश में संशोधन या अनुमति के लिए इस न्यायालय से संपर्क करे। अतएव वर्तमान आवेदन प्रस्तुत किया गया।

4. इस आवेदन के बाद, इस न्यायालय ने सीईसी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया सीईसी ने दिनांक 06.07.2017 की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

"I) हिमाचल प्रदेश राज्य में वनों के पुनरुत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 1500 मानक समुद्र तल से नीचे होने वाले चिल, साल और खैर के केवल तीन कार्य चक्रों तक ही वन संवर्धन कटाई की अनुमति अधिक कुशल कार्बन पृथक्करण क्षमता वाले बहुस्तरीय कैनोपी वाले वन प्राप्त करने के उद्देश्य तक सीमित की जाए;

ii) उपर्युक्त तीन कार्य चक्रों अथवा विविध/व्यापक उपरोक्त तीन कार्य वृत्तों के पुनर्जनन के लिए किए जाने वाले खण्डों में चौड़ी पत्तियों वाली प्रजातियों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे कार्य योजना में सिफारिशें कुछ भी हों;

iii) 764 हेक्टेयर कार्य योजना के अनुसार कटाई के लिए प्रस्तावित नीलगिरी के वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाए और उसी क्षेत्र को देशी चौड़ी पत्तियों वाली प्रजातियों के साथ पुनर्जीवित किया जाए;

iv) साल और चिल का चक्रानुक्रम 120 वर्ष होना चाहिए और अनियमित आश्रय काष्ठ प्रणाली के अंतर्गत काम किया जाना चाहिए;

v) खैर की चक्रानुक्रम आयु 30 वर्ष रखी जाए और स्तन की ऊंचाई तक न्यूनतम 25 सेमी का व्यास रखा जाए;

vi) चौड़ी पत्तियों वाली प्रजातियों के प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रोत्साहित करने और मृदा अपरदन को कम करने के लिए बुवाई के बाद या लकड़ी की कटाई सहित मलबे को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा;

vii) साल और खैर के अलावा शाहबलूत के जंगलों और अन्य चौड़ी पत्तियों वाले जंगलों में कोई कटाई नहीं की जाएगी;

viii) सहायक प्राकृतिक पुनर्जनन में रोपण घटक में प्रमुख प्रजातियों के अलावा देशी चौड़ी पत्तियों और बहुउद्देशीय उपयोग वाली प्रजातियों के 50% से अधिक अंकुर शामिल होंगे;

ix) पुनर्जनन कटाई का एक अभिन्न घटक होने के लिए लैंटाना खरपतवार को हटाना और कटाई कार्य शुरू होने से पहले लैंटाना को हटाने का कार्य पूरा किया जाना है, ताकि काटे गए क्षेत्र का पुनरुत्थान तुरंत किया जा सके;

x) खैर कार्य परिधि में प्रति हेक्टेयर कम से कम 50 स्वस्थ पेड़ प्रस्तावित कटाई से कम से कम दो वर्ष पूर्व से पहचान की जानी है और मातृ वृक्ष या मानकों के रूप में लेबल किया जाता है और उसके बाद इन वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं होगी;

xi) किसी दिए गए वर्ष में पुनर्जनन कटाई के लिए लिए लिए जाने वाले उपखण्ड का आकार 20 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। यदि कोई उपखण्ड 20 हेक्टेयर से अधिक है। क्षेत्र में, इसे दो या दो से अधिक इकाइयों में उप-विभाजित किया जा सकता है ताकि किसी दिए गए स्थानों पर जंगलों की छतरी में बड़े अंतराल के निर्माण से बचा जा सके;

xii) पहले से काटे गए क्षेत्र/उपखण्ड के निकटवर्ती वन क्षेत्र/उपखण्ड में कटाई कार्य दिए गए उपखण्ड में पुनर्जनन कटाई के पांच वर्षों के बाद ही शुरू किया जाए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि पहले से ही साफ किए गए वन क्षेत्र में पुनर्जनन स्थापित हो गया है;

xiii) पुनर्जनन क्षेत्र में पर्याप्त मृदा और नमी संरक्षण उपाय किए जाने हैं;

xiv) कार्य योजना संहिता में मानक निर्देश के अनुसार और संरक्षण सह पुनर्वास कार्य के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्रों में खड़ी ढलानों और नदियों तथा नालों के किनारे कोई हरित कटाई नहीं की जानी है;

xv) राज्य सरकार 1500 मानक समुद्र तल से नीचे आने वाले संपूर्ण वन क्षेत्र को आच्छादित करते हुए क्रमश चिल, साल और खैर के लिए तीन अलग-अलग व्यापक प्रबंधन योजनाएं तैयार करेगी जिसमें इस रिपोर्ट में दिए गए संशोधित निर्देश शामिल होंगे।

xvi) राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र के रूप में एक वचन पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें कटाई वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष में काटे गए क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान सुनिश्चित होंगे।

5. सीईसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर इस न्यायालय द्वारा 12.09.2017 को विचार किया गया जब हिमाचल प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कथन किया कि वह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तीन कार्य मंडलों की पहचान करते हुए एक शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे। इस शपथपत्र के प्रस्तुत होने के बाद, हमने महसूस किया कि सर्कल एक बड़े क्षेत्र को आच्छादित करते हैं और राज्य को प्रत्येक सर्कल द्वारा आच्छादित किए गए क्षेत्रों और सर्कल में प्रत्येक रेंज/ बीट के क्षेत्र के बारे में एक शपथपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। शपथपत्र के अवलोकन पर यह पाया गया कि प्रत्येक वन मंडल में राज्य के एक से अधिक जिलों को आच्छादित करने वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र शामिल है, जिससे बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई होगी। इसके बाद, 04.12.2017 को, राज्य को दो या तीन श्रेणियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया था उन श्रेणियों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, प्रत्येक रेंज में बीट की संख्या और प्रत्येक बीट का क्षेत्रजहां वनसंवर्धन कटाई की प्रक्रिया की जा सकती है।

6. शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है और इस शपथपत्र में यह बताया गया है कि खैर (बबूल कत्था) के वृक्षों की कटाई के लिए, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नूरपुर वन प्रभाग (धर्मशाला वन सर्कल) के नूरपुर वन रेंज की पहचान की गई है। खैर की लकड़ी का उपयोग कत्था बनाने में व्यावसायिक रूप से किया जाता है और इसलिए, इस पेड़ की लकड़ी की बहुत मांग है। यह प्रस्तावित किया गया है कि 80% पेड़ 25 सेमी व्यास के हैं और उससे ऊपर के

वृक्षों को काटा जाएगा और शेष 20% 25 सेमी के पेड़ काटे जाएंगे। मातृ वृक्ष के रूप में कार्य करने के लिए व्यास और उससे ऊपर को बनाए रखा जाएगा। यह भी कहा गया है कि कोई अन्य चौड़ी पत्ती वाला पेड़ नहीं काटा जाएगा। विवरण दिया गया है और वर्ष 2018-2019 में 903.14 हेक्टेयर क्षेत्र में कटाई करने का प्रस्ताव है। और 706.30 हेक्टेयर का क्षेत्र। वर्ष 2019-2020 के लिए वन संवर्धन कटाई के लिए निर्धारित किया गया है।

7. जहां तक चिल पाइन (पाइनस रोक्सबर्गी) वृक्षों का संबंध है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने वर्ष 2018-2019 के लिए 49.05 हेक्टेयर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बिलासपुर वन प्रभाग (बिलासपुर वन मंडल) के भराड़ी वन रेंज में वन संवर्धन के लिए वर्ष 2019-2020 के लिए 23.95 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रस्ताव किया है। जहां तक चिल का संबंध है, यह प्रस्तावित है कि प्रति हेक्टेयर कम से कम 20-25 मातृ वृक्षों को बनाए रखा जाएगा।

8. जहां तक साल (शोरिया रोबस्टा) वृक्षों का संबंध है, चिन्हित रेंज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब वन प्रभाग (नाहन वन वृत्त) की पांवटा वन रेंज है और वर्ष 2018-2019 के लिए 176.01 हेक्टेयर का क्षेत्र और वर्ष 2019-2020 के लिए 120.12 हेक्टेयर क्षेत्र को वन संवर्धन कटाई के लिए निर्धारित किया गया है।

9. इस न्यायालय ने वनों की रक्षा की दृष्टि से वृक्षों की कटाई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा दायर शपथपत्रों के अनुसार, कुछ मात्रा में वनसंवर्धन कटाई आवश्यक है, क्योंकि यदि कोई कटाई नहीं की जाती है तो वृक्षों का पुनर्जनन उतनी तेजी से नहीं होता है जितना होना चाहिए और एक बार परिपक्व पेड़ अपने अधिकतम जीवन काल तक पहुंचने के बाद मृत हो जाते हैं, तो पुराने वृक्षों को बदलने के लिए बहुत कम युवा पेड़ होंगे। भारत में वृक्षों की कटाई पर दो दशक से अधिक समय से प्रतिबंध है। हमारा विचार है कि प्रायोगिक आधार पर हम बहुत सीमित सीमा तक वृक्षों की वनसंवर्धन कटाई की अनुमति दे सकते हैं और इस प्रकार की कटाई की निगरानी बहुत सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि क्या इस प्रकार की वनसंवर्धन कटाई वास्तव में वनों के पुनरुत्थान में सहायक है या नहीं। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि सीईसी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ शर्तों के अधीन वृक्षों की कटाई की भी अनुमति दी है। हम आगे ध्यान दे सकते हैं कि सीईसी ने सिफारिश की है कि खण्ड का आकार किसी दिए गए क्षेत्र में पुनर्जनन के लिए लिया गया कार्य 20 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा और हम दोहराते हैं कि राज्य सीईसी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों से बाध्य होगा, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि 20 हेक्टेयर से अधिक का कोई भी खण्ड एक बार में नहीं काटा जाएगा। सीईसी द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा:

1. कटाई सीधे वन विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम द्वारा की जानी चाहिए और कटाई का काम किसी भी निजी एजेंसी को सौंपा या अनुबंध पर नहीं दिया जाना चाहिए;

2. वन विभाग यह सुनिश्चित करे कि कटाई से पहले, कटाई के दौरान और कटाई के बाद जंगल की अवस्था और स्थिति को स्पष्ट रूप से इंगित करने के लिए नियमित अंतराल पर प्रत्येक बीट की वीडियोग्राफी की जाए।

3. जहां तक खैर वृक्षों का संबंध है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कम से कम 25% परिपक्व खैर वृक्षों को मातृ वृक्ष के रूप में बनाए रखा जाए और इन्हें चिह्नित किया जाए और उन्हें काटे न जाने वाले वृक्षों के रूप में अंकित और क्रमांकित किया जाए, जो

वीडियोग्राफी में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए। काटे जाने वाले वृक्षों को एक अलग रंग से चिह्नित किया जा सकता है। वृक्षों की संख्या, आकार और परिधि स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए;

4. जहां तक चिल पाइन और साल के वृक्षों का संबंध है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रति हेक्टेयर कम से कम 40 परिपक्व वृक्षों को बरकरार रखा जाए और अन्य शर्तें खैर के वृक्षों पर लागू होंगी;

5. कार्य योजना में निर्धारित शर्तों और सीईसी द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा, हिमाचल प्रदेश राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए और 20 हेक्टेयर के प्रत्येक ब्लॉक में कटाई पूरी होने के तुरंत बाद या तो एक साथ या यदि यह संभव न हो, तो पुन: वनीकरण किया जाए।

6. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन वन क्षेत्रों को चराई से मुक्त रखा जाए और संरक्षित किया जाए;

7. राज्य को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्याप्त संख्या में स्वस्थ पौधे लगाए जाएं ताकि जंगल का उचित उत्थान हो सके;

8. प्रायोगिक वन संवर्धन कटाई का यह पूरा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री वीपी मोहन, आईएफएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में किया जाएगा। इस समिति के दूसरे सदस्य को कुलपति, डॉ. वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित किया जाएगा। दूसरा सदस्य वनसंवर्धन का प्रोफेसर होगा।

10. प्रधान मुख्य संरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि कटाई इस न्यायालय के आदेशों के अनुसार सख्ती से की जाती है। जहां तक हिमाचल प्रदेश राज्य का संबंध है, दिनांक 12-12-1996 और 14-02-2000 के आदेशों को इस सीमित सीमा तक संशोधित किया जाता है।

11. समिति को हर 6 महीने में इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश राज्य परिवहन और बोर्डिंग सुविधाओं सहित समिति को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। समिति के सदस्यों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का निर्धारण समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद किया जाएगा।

12. रजिस्ट्रार न्यायिक इस आदेश की प्रति श्री वीपी मोहन, आईएफएस (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश, सनी विला, निगम विहार, शिमला-171002 और डॉ. वाईएस परमार, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, नौनी, सोलन, हिमाचल प्रदेश-173203 को भेजें।

13. तदनुसार, अंतर्वर्ती प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

अंतर्वर्ती प्रार्थना पत्र निस्तारित।

अनुवादकर्ता
मणि यज्ञेश त्रिपाठी
अधिवक्ता,
इलाहाबाद उच्च न्यायालय